न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम ललित अग्रवाल वगै0

मुकदमा नम्बर 42/2024/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

07.04.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण ललित अग्रवाल, मालादेवी खण्डेलवाल व मैसर्स-भोले बाबा, मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं. बी-228, रोड़ नं. 9, जयपुर की और से वकील श्री सुभाष बंसल उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब आवेदन पेश किया गया एवं बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2023 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे घी (कृष्णा) का नमूना संख्या एफ-3370 लिया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Misbranded Food का पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अप्रार्थी को पुनः जांच हेतु लिखे जाने पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नमूना संख्या एफ-3370 खाद्य पदार्थ घी(कृष्णा) जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया। उक्त नमूना अमानक स्तर का नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Misbranded Food का पाये जाने से अप्रार्थीगण को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के 15,000/- रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 07/04/26	

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)